न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बइजलास–दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

राजस्व मामला संख्या – 109/2014

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) डेगाना		1. श्रीमति सबुदेवी पत्नी रामचन्द्रसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी मेड़तारोड़ जिला नागौर 2. श्रीमति बाउदेवी पत्नी गफूरसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी सबलपुर तहसील मकराना जिला नागौर

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से वकील राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।
2. अप्रार्थीगण की ओर से श्री श्यामकुमार व्यास व श्री ओमप्रकाश गौड़।

निर्णय **दिनांक : 03-09-2019**

प्रार्थी तहसीलदार डेगाना ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय अपर कलक्टर नागौर के समक्ष प्रस्तुत किया। अपर कलक्टर नागौर ने उक्त प्रकरण उनके न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होना अवगत कराते हुऐ उक्त प्रकरण पत्रांक–एडीएम/कोर्ट/726 दिनांक 24.07.2014 के द्वारा इस न्यायालय को भिजवायें जाने पर यह प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थी की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने बहस में कथन किया कि मौजा आछोजाई के खसरा नम्बर 674/381 रकबा 15 बीघा भूमि श्रीमती पतासी पत्नी स्व0 हीरा कौम दरोगा साकिन पालिया को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1970 के तहत् वर्ष 1970–71 को आंवटन हुई थी एवं अप्रार्थीगण उक्त पतासी की कायममुकामान है। उक्त आवंटन के संबंध में नामान्तरकरण संख्या 218 ग्राम आछोजाई भरा जाकर गैर खातेदारी दर्ज की गई थी। कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के उपनियम 14(3) के तहत् प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भू–भाग को व द्वितीय वर्ष में शेष भाग को जोतना आवश्यक था। पतासी तथा अप्रार्थी ने उक्त अधिनियम की धारा 14 (3) की शर्तो का पालन नहीं किया जो ग्राम आछोजाई की खसरा गिरदावरी संवत् 2026–2029 तक के नकलों से सुस्पष्ट है। अप्रार्थी को आंवटित भूमि काबिल काश्त नही है तथा मौके पर भूमि खारड़ा की है, जिस पर काश्त करना मुमकिन नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का लवादर की फर्द मौका रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि पतासी पत्नी स्वा0 हीरा व कायमुकामान को उक्त आवंटित भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा भूमि खारड़ा की है और काश्त योग्य नहीं है, इत्यादि कथन करते हुऐ राजपैरोकार ने पतासी को किया गया आवंटन व गैर खातेदारी अधिकार निरस्त करने का निवेदन किया है।

वकील अप्रार्थीगण ने राजपैरोकार की बहस का विरोध करते हुए प्रार्थी का आवेदन निरस्त करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। मौजा आछोजाई के खसरा नम्बर 674/381 रकबा 15 बीघा भूमि श्रीमती पतासी पत्नी स्व0 हीरा कौम दरोगा साकिन पालियास को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1970 के तहत् आंवटन हुई थी, जिसका नामान्तरकरण संख्या 218 ग्राम पालियास भरा जाकर गैर खातेदारी दर्ज की गई थी, जो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ग्राम आछोजाई के नामान्तरकरण संख्या–218 व जमावन्दी संख्या 390 नई, 372 पुरानी ग्राम आछोजाई तहसील डेगाना संवत 2060 से 2063 से भी साबित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व मामला दिनांक 01.03.2012 के अनुसार पतासी को उक्त भूमि का आवंटन वर्ष 1970–71 में किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का लवादर की फर्द मौका रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि पतासी पत्नी स्व0 हीरा व कायमुकामान अप्रार्थी सबूदेवी व बाउदेवी का उक्त आवंटित भूमि पर कोई कब्जा काश्त

नहीं है तथा भूमि खारड़ा की है और काश्त योग्य नहीं है। राजपैरोकार ने तर्क दिया है कि पतासी तथा अप्रार्थी ने उक्त अधिनियम की धारा 14 (3) की शर्तो का पालन नहीं किया जो ग्राम आछोजाई की खसरा गिरदावरी संवत् 2026–2029 तक के नकलों से सुस्पष्ट है। परन्तु उक्त संवत की खसरा गिरदावरी की नकल पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। यद्यपि खसरा गिरदावरी ग्राम आछोजाई तहसील डेगाना संवत 2064 व 2067 के अनुसार वादग्रस्त खसरा की भूमि के संबंध में गिरदावरी में न जोते गये क्षैत्रफल का ब्यौरा में 15 अंकित किया गया है। इस प्रकार पटवारी लवादर की फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार वादग्रस्त भूमि पर पतासी व अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं है एवं खसरा गिरदावरी संवत् 2064 व 2067 के अनुसार भी पतासी व अप्रार्थीगण की काश्त दर्ज नहीं है, जो आवंटन आदेश की शर्तो का उल्लघंन होने से अप्रार्थी पतासी को किया गया आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का जबाब न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है एवं न ही ऐसी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत की है, जिसके आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को खारिज किया जा सके।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व मामला आवेदन स्वीकार किया जाता है। ग्राम आछोजाई में अप्रार्थी श्रीमती पतासी पत्नी स्व0 हीरा कौम दरोगा साकिन पालियास के नाम पर खसरा नम्बर 674 / 381 रकबा 15 बीघा बीघा कृषि प्रयोजनार्थ किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार डेगाना को भूमि का इन्द्राज पूर्ववत बहाल कर सरकारी तहवील में लिये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार डेगाना को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.05.28 12:33:52 IST
Reason: SelfAttested
Location: